

Entered 97 11.6.18

92 287/118

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाया।

2. प्रार्थी श्री को सूचनाया।

3. रक्षित पत्रावली।

क्रमांक :- 2642
 तिथि :- 14.6.18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

क्रमांक	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रतिहा (अशुद्ध प्रतिहा)	आदेश (शुद्ध प्रतिहा जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पारिक	30	वर्तमान प्रतिहा 287/118 अशुद्ध प्रतिहा 287/118	आदेश 287/118 वर्तमान प्रतिहा 287/118

में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

खता संख्या 30 में वर्तमान में दर्ज प्रतिहा को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में ग्राम तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी समार 2014-17 में तथा तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी की अनुरोध के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचा में प्रार्थी के खता दस्तावेज प्रार्थना पत्र एवं पत्रवारी व भू.अ.नि. दिना. की रिपोर्ट

-: आदेश :-

राजस्थान सरकार (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प
 रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

दस्तावेज के आ...